

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-743/एक-1-2016-20(5)/2016

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016

अधिसूचना

नयी हाईटेक टाउनशिप नीति-2007, दिनांक 17 सितम्बर, 2007 को घोषित होने और कार्यालय ज्ञाप संख्या-3872(1)/आठ-1-07-34विविध/03, दिनांक 17 सितम्बर, 2007 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

2. अतएव अब उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-219 के अधीन शक्ति का प्रयोग और अधिसूचना संख्या-148/एक-1/2008-राजस्व-1, दिनांक 01 फरवरी, 2008 का अधिक्रमण करके राज्यपाल पूर्वोक्त उच्च स्तरीय समिति को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए हाईटेक टाउनशिप नीति तथा इन्टीग्रेटेड आवासीय नीति के अन्तर्गत क्रय द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 89 की उपधारा (2) में यथा उल्लिखित उत्तर प्रदेश में, 5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि क्रय करने के लिए अनुमति प्रदान करने की उक्त अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति, यदि ऐसा संक्रमण सामान्य जनता के हित में हो, प्रतिनिहित करते हैं।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan,
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 743/I-1-2016-20(5)/2016 Lucknow dated June 03, 2016


Notification

No. 743/I-1-2016-20(5)/2016
Lucknow Dated June 03 , 2016

Whereas due to pronouncement of New High-tech township policy-2007 on September 17, 2007 and due to re-constitution of High Power Committee under Chairmanship of Chief Secretary, Uttar Pradesh Shasan, by office memo. No. 3872(1)/Aath-1-07-34Vividh/03 Dated September 17, 2007.

2. Now, therefore, in exercise of the powers under section 219 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904) and in supersession of notification no. 148/EK-1/2008-Rajaswa-1, Dated February 01, 2008 the Governor is pleased to delegate to aforesaid High Power Committee for the whole of Uttar Pradesh the powers exercisable by the State Government under sub-sections (3) of section 89 of the said Act no. 8 of 2012 to grant permission, if the transfer is in the interest of general public for the purpose of land acquired by purchase under High-tech township policy and Integrated Housing policy, for the land in excess of 5.0586 hectares in Uttar Pradesh, as mentioned in sub-section (2) of section 89 of the said Act no. 8 of 2012.

By order,


(Suresh Chandra)
Pramukh Sachiv.